प्रेस नोट–151 / 2026

दिनांक 17.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

यक्ष ऐप की सहायता से जनपद रायबरेली एवं फिरोजाबाद में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

- **माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व एवं तकनीक-आधारित सुशासन के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश पुलिस आज स्मार्ट पुलिसिंग के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थान प्राप्त कर रही है।**
- **यक्ष ऐप के माध्यम से रायबरेली पुलिस ने एक सक्रिय वाहन चोर गिरोह का भण्डाफोड़ करते हुए 05 चोरी के वाहन बरामद किये तथा अनेक अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।**
- **फिरोजाबाद पुलिस ने यक्ष ऐप की फोटो मिलान तकनीक का उपयोग कर 10 वर्ष पुराने अभियोग में अपनी पहचान छुपाने वाले NBW वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।**
- **यक्ष ऐप के माध्यम से घटनास्थल के निकट सीसीटीवी कैमरों की त्वरित पहचान, अभियुक्तों का सत्यापन एवं लोकेशन ट्रेसिंग संभव हुई।**
- **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण ने दोनों जनपदों की टीमों को बधाई देते हुए समस्त जनपदों को यक्ष ऐप के प्रभावी उपयोग हेतु निर्देशित किया।**

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्ण** के नेतृत्व में परिकल्पित एवं विकसित यक्ष ऐप राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग, अपराधियों की प्रभावी निगरानी एवं त्वरित विवेचना में एक सशक्त तकनीकी माध्यम के रूप में स्थापित हो रहा है। इस एप्लीकेशन का औपचारिक शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा "पुलिस मंथन" कार्यक्रम के दौरान किया गया था। हाल ही में जनपद रायबरेली एवं फिरोजाबाद में इस ऐप के माध्यम से की गई कार्यवाहियाँ तकनीक-आधारित पुलिसिंग की सफलता की उल्लेखनीय मिसाल हैं।

1. यक्ष ऐप की सहायता से रायबरेली पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरोह का भण्डाफोड़ एवं चोरी के वाहनों की बरामदगी

दिनांक 16.02.2026 को लगभग 03:30 बजे रात्रि, थाना बछरावाँ क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो वाहन की चोरी की सूचना प्राप्त हुई। प्रकरण में धारा 303(2) BNS के अंतर्गत मु0अ0सं0 94/2026 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

पुलिस अधीक्षक रायबरेली श्री रवि कुमार के निर्देशन में विवेचना टीम द्वारा यक्ष ऐप का सुनियोजित उपयोग करते हुए घटनास्थल के आसपास स्थापित सीसीटीवी कैमरों की जानकारी तत्काल प्राप्त की गई। फुटेज के विश्लेषण एवं अपराधियों के पलायन मार्ग की पड़ताल से यह अनुमान लगाया गया कि वांछित अभियुक्त जनपद मऊ से संबंधित हो सकते हैं। फुटेज में प्राप्त अस्पष्ट छवियों को स्थानीय गुप्तचर स्रोतों के साथ साझा किया गया। तकनीकी अन्वेषण एवं यक्ष ऐप के समन्वित उपयोग से गिरोह के सक्रिय सदस्य प्रदीप की पहचान हुई तथा उसके अन्य साथियों का विवरण भी संकलित किया गया।

अभियुक्तों की गतिविधियों पर निरन्तर निगरानी रखते हुए दिनांक 16.03.2026 को प्रदीप सहित उसके गिरोह के अन्य सदस्यों को बछरावाँ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 05 चोरी के वाहन (02 स्कॉर्पियो, 02 अर्टिगा एवं 01 किया) तथा घटना में प्रयुक्त 01 वाहन (हुंडई आई-20) बरामद किये गये।

इस प्रकार रायबरेली पुलिस ने यक्ष ऐप की तकनीकी क्षमताओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए एक सक्रिय वाहन चोर गिरोह का सफलतापूर्वक भण्डाफोड़ किया।

2. यक्ष ऐप की सहायता से फिरोजाबाद पुलिस द्वारा 10 वर्षों पुराने अभियोग में NBW वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी

जनपद फिरोजाबाद के थाना लाइनपार में मु0अ0सं0 214/2016, धारा 302 भादवि के एक गंभीर प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त सनोज पुत्र पंचम सिंह की गिरफ्तारी हेतु NBW वारंट निर्गत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना लाइनपार की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 07.03.2026 को यक्ष ऐप के माध्यम से अभियुक्त सनोज का सत्यापन किया गया तथा उसकी लोकेशन प्राप्त कर पुलिस टीम को सत्यापन हेतु भेजा गया।

सत्यापन के दौरान अभियुक्त ने अपना नाम "सुमित" बताकर पहचान छुपाने का प्रयास किया, परंतु यक्ष ऐप में उपलब्ध फोटो मिलान सुविधा के माध्यम से उसकी वास्तविक पहचान सनोज पुत्र पंचम सिंह के रूप में तत्काल सुनिश्चित की गई।
इस प्रकार दिनांक 15.03.2026 को अभियुक्त सनोज को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण ने दोनों जनपदों की पुलिस टीमों को यक्ष ऐप के कुशल एवं प्रभावी उपयोग हेतु बधाई दी है। उन्होंने समस्त जनपदों को निर्देशित किया है कि अपराध नियंत्रण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी में यक्ष ऐप का इसी प्रकार सक्रिय एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

प्रेस नोट–152 / 2026
दिनांक 17.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मानव दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 की अध्यक्षता में आज दिनांक 17.03.2026 को महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 द्वारा पुलिस मुख्यालय स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह में मानव दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला के दौरान **पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0** ने अपने संबोधन में मानव दुर्व्यापार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु ठोस एवं समन्वित कार्रवाई पर बल दिया। उन्होंने कहा कि United Nations के अनुसार मानव दुर्व्यापार आधुनिक दासता (modern slavery) का सबसे क्रूर रूप है, जो न केवल एक संगठित अपराध है बल्कि मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन भी है, जिसकी जड़ें गरीबी, असमानता एवं विस्थापन जैसी परिस्थितियों में निहित हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत इस वैश्विक समस्या से अछूता नहीं है तथा उत्तर प्रदेश, अपने भौगोलिक विस्तार एवं नेपाल सीमा से जुड़े होने के कारण, इस दृष्टि से विशेष रूप से संवेदनशील राज्य है।

उन्होंने बताया कि **माननीय मुख्यमंत्री जी** के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि महिलाओं एवं बच्चों सहित समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा हर स्तर पर सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत पूर्व में 35 जनपदों तक सीमित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) का विस्तार कर सभी 75 जनपदों में स्थापित किया गया तथा वर्ष 2020 में इन्हें पूर्ण थाने का दर्जा प्रदान किया गया । साथ ही, वर्ष 2016 से 2025 के मध्य मानव दुर्व्यापार से संबंधित 1010 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 832 में आरोप-पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, तथा विदेश में रोजगार के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अवैध एजेंटों के विरुद्ध प्रवासन अधिनियम के अंतर्गत 342 प्रकरण पंजीकृत किए गए हैं।

उन्होंने सभी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थानों को निर्देशित किया कि इंटेलिजेंस नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाए, संभावित हॉटस्पॉट चिन्हित कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाएं, नेपाल सीमा पर एसएसबी के साथ समन्वित अभियान संचालित किए जाएं तथा रेलवे स्टेशन व बस अड्डों जैसे ट्रांजिट रूटों पर विशेष निगरानी रखी जाए। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 05 विवेचकों एवं 05 ए0एच0टी0 थाना प्रभारियों को सम्मानित किया गया।

कार्यशाला में प्रतिभागियों के क्षमतावर्धन हेतु विभिन्न विषयों पर आयोजित सत्र में सेवानिवृत्त महानिदेशक एनडीआरएफ श्री पी.एम. नायर द्वारा मानव दुर्व्यापार के विस्तार, कारणों एवं संबंधित विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई, जबकि श्री राजेश मणि ने रेस्क्यू प्रक्रिया एवं पीड़ितों के पुनर्वास पर प्रकाश डाला गया।

पुलिस महानिदेशक, रेलवे श्री प्रकाश डी. द्वारा जीआरपी की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए टुंडला रेलवे स्टेशन से चोरी हुए बच्चे को 24 घंटे में बरामद कर सकुशल परिजनों को सुपुर्द किए जाने की जानकारी दी गई। अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन द्वारा एएचटीयू के सशक्तिकरण, डिजिटल माध्यमों के उपयोग तथा अवैध एजेंटों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों की जानकारी दी गई।

अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, श्रीमती पद्मजा चौहान ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस थानों के सशक्तिकरण हेतु WCSO द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने मानव तस्करी में डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग तथा विदेशों में सक्रिय अवैध एजेंटोंएजेंसियों के विरुद्ध की गई प्रभावी कार्रवाई पर प्रकाश डाला।/

पुलिस महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), लखनऊ फ्रंटियर, श्री रत्न संजय ने नेपाल सीमा से लगे 06 जनपदों में मानव तस्करी की रोकथाम हेतु एसएसबी द्वारा उ0प्र0 पुलिस एवं स्वयंसेवी संगठनों के साथ समन्वय में संचालित विशेष अभियानों की जानकारी दी।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पुलिस महानिरीक्षक ने एएचटीयू थानों के कार्यों एवं वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की, वहीं संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री अवधेश कुमार सिंह ने अभियोजन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा की। साइबर विशेषज्ञ श्री राहुल मिश्रा ने डिजिटल माध्यमों की भूमिका एवं उससे निपटने के उपाय बताए तथा उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

कार्यशाला में प्रदेश के सभी जनपदों से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थानों के नोडल राजपत्रित अधिकारी एवं प्रभारी, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के समस्त कोर्डिनेटर, जीआरपी एवं आरपीएफ सहित अन्य विभागों के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला के दौरान लगभग 350 से अधिक पुलिस बल को मानव दुर्व्यापार संबंधी विषयों पर प्रशिक्षित किया गया।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन
उत्तर प्रदेश पुलिस
द्वारा
मानव दुर्व्यापार की रोकथाम हेतु
गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में आयोजित एक दिवसीय
" राज्य स्तरीय सम्मेलन "
मुख्य अतिथि
श्री राजीव कृष्णा
(I.P.S.)
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश
ऑडीटोरियम, पुलिस मुख्यालय, सिग्नेचर बिल्डिंग, शहीद पथ, लखनऊ

प्रेस नोट–153 / 2026
दिनांक 17.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मुरादाबाद इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 17.03.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मुरादाबाद इकाई** द्वारा श्री यशवीर सिंह निवासी ग्राम सींगनखेडा थाना अजीमनगर जनपद रामपुर से पक्ष में रिपोर्ट लगाने व उसका निपटारा कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्रीमती राखी के नेतृत्व में थाना स्वार परिसर स्थित मिशन शक्ति केन्द्र के कमरे से **उ0नि0 ओमकार नाथ (थाना स्वार जनपद रामपुर)** पुत्र स्व0 रामविलास निवासी ग्राम व पोस्ट शुक्लापुर भगत थाना माधोगंज जनपद हरदोई को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–154 / 2026
दिनांक 17.03.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस०टी०एफ०–नगर निगम लखनऊ द्वारा सील "सहारा शहर" गोमतीनगर में संगठित गिरोह बनाकर सेमी–आटोमेटिक पिस्तौल के साथ लाखो की चोरी करने वाले संगठित गिरोह के 06 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार

आज दिनांक 17–03–2026 को एस०टी०एफ उत्तर प्रदेश द्वारा नगर निगम लखनऊ द्वारा सील "सहारा शहर" गोमतीनगर में संगठित गिरोह बनाकर चोरी करने वाले संगठित गिरोह के 06 सक्रिया सदस्यों को सेमी–आटोमेटिक पिस्तौल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. दानिश पुत्र ननके निवासी बहलोलपुर, थाना कासिमपुर, हरदोई
2. साहिद पुत्र मुन्ना निवासी सरेरी हरदोई, थाना कासिमपुर, जनपद हरदोई
3. विक्रम पुत्र मनीराम निवासी राजा बवंडी, थाना राजा बवंडी, जिला बहराइच
4. नूर मोहम्मद पुत्र साबिर निवासी अव्वल मकसूदपुर, थाना रानीपुर, जनपद बहराइच
5. अमन साहनी पुत्र विदेश्वर साहनी निवासी बजरंग चौराहा, थाना जनवारा, लखनऊ
6. सैज उर्फ फैयाज पुत्र अंजुम निवासी नसीरगंज बाजार, थाना सोनवा, बहराइच

बरामदगीः–

1) **02 अदद सेमी–आटोमेटिक पिस्तौल .32 बोर**
2) 02 अदद कारतूस जिंदा .32 बोर
3) 05 अदद खोखा कारतूस .32 बोर

बेशकीमती विंटेज घड़ियाँः–

4) 03 अदद GIRARD PERREGAUX कम्पनी की घड़ियाँ
5) 02 अदद RAADO कम्पनी की घड़ियाँ
6) 02 अदद PACORABANNE कम्पनी की घड़ियाँ
7) एक अदद TECHNOMARINE कम्पनी की घड़ी
8) एक अदद POLICE कम्पनी की घड़ी
9) 04 अदद SAHARA FAMILY कम्पनी की घड़ियाँ
10) 01 अदद TED LAPIDUS कम्पनी की घड़ी
11) 01 अदद TITAN कम्पनी की टेबल घड़ी

सोना–चांदी–प्लैटिनम जेवरातः–

12) 02 अदद स्टाइलिश प्लैटिनम हैंडकफ बटन

13) एक अदद स्टाइलिश सोने के हैंडकफ बटन

14) एक अदद चांदी का पीक दान – (करीब १ किलो)

15) एक अदद सोने की चौन

16) एक जोड़ी कान के सोने के टॉप्स

17) एक अदद कान की सोने की बाली

18) 07 आदत चांदी की सिंदूरदानी (करीब ५०० ग्राम)

अन्यः–

19) एक अदद DSLR NIKON F80 CAMERA & HD ysal के साथ

20) एक अदद mini camera FUZIFILM FINE PIX 40I

21) 02 अदद एलसीडी HD TV

22) 878 अदद Casino coin

23) 05 अदद मोबाइल फोन (घटना में प्रयुक्त)

24) 01 अदद महिन्द्रा एक्सयूवी–500 यू0पी0–32 जीसी–6668 (घटना में प्रयुक्त)

25) 01 अदद पिकप वाहन संख्या–यू0पी0–32 एचएन–8714 (घंटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तारी का स्थान, समय व् दिनांकः–

दिनांकः–17–03–2026, समय 01:06 am सहारा ओवर ब्रिज के नीचे थाना गोमतीनगर लखनऊ क्षेत्र।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश द्वारा संगठित अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध एस0टी0एफ की विभिन्न इकाईयो/टीमो को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री अमित कुमार नागर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ मुख्यालय लखनऊ के निकट पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

आज दिनांक 17–03–2026 को एस0टी0एफ टीम के निरीक्षक दिलीप कुमार तिवारी के नेतृत्व में उ0नि0 अशोक कुमार गुप्ता, हे0का0 राजेश मौर्या, हे0का रुद्र नारायण, हे0का0 रवि वर्मा, हे0का0 विजय वर्मा की एक टीम लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में टीम चोरी/हत्या/लूट/डकैती के अपराधियों की पतारसी–सुरागरसी हेतु भ्रमणशील थी, कि इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई की सहारा शहर के पीछे, सहारा ओवर ब्रिज के नीचे एक संगठित चोरों का गिरोह, जो कि नगर निगम लखनऊ द्वारा

सील ''सहारा शहर'' गोमतीनगर में चोरी किये हुए कीमती सामन को अपने साथियों के साथ लेकर भागने वाला है। इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए एस0टी0एफ टीम ने सहारा स्टेट सिक्योरिटी अधिकारी रणवीर सिंह पुत्र नत्थू लाल को साथ लेकर बताये स्थान पर पहुँच कर घेरा बंदी करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी। माल बरामद कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कर थाना स्थानीय के माध्यम से माननीय न्यायलय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त सैज उर्फ फैयाज और शाहिद उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया की इन लोंगो का एक बड़ा गैंग है, जो कि आसपास के जनपदों में फेरी लगाकर कबाड़ का काम के बहाने रैकी करते हैं और घटना को अंजाम देते हैं और साथ ही बताया की अपने आप को बचाने के लिए हम लोगो के गिरोह द्वारा अपने बचाव के लिए पुलिस पर फायर भी कर दिया जाता है, उसके विरूद्ध कई जनपदों में दर्जनों चोरी व अन्य अपराध के मुकदमें दर्ज है जिसमें वह कई बार जेल जा चुका हूँ। इन लोगों अपने साथियों के साथ मिलकर सहारा शहर परिसर में घुसकर दरवाजा व् लॉकर तोड़कर कीमती घड़ियां, सोने–चांदी–प्लैटिनम के जेवरात, इम्पोर्टेड कपड़े व कीमती सामान चुरा कर ले आते थे। उसको बाजार में बेचकर अच्छे दामों में मुनाफा कमाते हैं। यह काम हम लोग काफी दिनों से कर रहे थे परंतु कोई पकड़ नहीं पा रहा था। इससे हमारे हौसले और बुलंद होते चले गए और हम सब लोग अक्सर रात में अपने साथियों को बुलाकर यहाँ से कीमती सामान चुराकर उसको डाला व गाड़ी में भरकर तेजी से वहां से निकल जाते हैं और उनको अच्छे दामों में बेचकर उससे प्राप्त धन को कर आपस में बांट लेते हैं।

बरामद सेमी–आटोमेटिक पिस्तौल के बारे में पूछताछ करने पर बताया की सहारा परिसर में चारो तरफ काफी कड़ी सुरक्षा लगाईं गयी थी इसलिए हम हमेशा सेमी–आटोमेटिक पिस्तौल व् अन्य अवैध असलहो के साथ जाते थे ताकि जरूरत पड़ने पर फायर कर हम अपने बचाव् में वहां से निकल सके। हम लोगों द्वारा अब तक करोड़ो रुपये का माल यहाँ से चुरा कर बेचा जा चूका है। चुराए गए सामान में से लगभग 10 कुंतल कीमती धातु (ताम्बा –पीतल) को हम लोग अमन व नूर मोहम्मद के माध्यम से अच्छे दामों में बेच चुके हैं।

इन लोगों के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध थाना गोमतीनगर, लखनऊ पर मु0अ0सं0 144/2026, धारा 317(2),317(4) बीएनएस व 3/25 आर्म्स का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा की जायेगी।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नई मण्डी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 16.03.2026 को थाना नई मण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पचेण्डा बाईपास, रनवीरा रिसोर्ट के पास से अभियुक्त रवि को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.03.2026 को थाना नई मण्डी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रवि निवासी ग्राम बधाई कला थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–लगभग 12 लाख रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि।

जनपद चन्दौली/थाना चन्दौली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 14 लाख रूपये कीमत के 55 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 पिकप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 16.03.2026 को थाना चन्दौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनएच–19 ढाबा के पास से 02 अभियुक्तों 1–विशाल

2–बब्बन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 14 लाख रूपये कीमत के 55 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, 01 पिकप वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना चन्दौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विशाल निवासी मदनपुर खादर, जेजे कॉलोनी सरिता विहार।

2–बब्बन निवासी उत्तमपुर थाना राजपुर जनपद बक्सर विहार।

बरामदगी

1–लगभग 14 लाख रूपये कीमत के 55 किलो 350 ग्राम अवैध गांजा।

2–02 मोबाइल फोन।

3–01 पिकप वाहन आदि।

- **जनपद बलिया/थाना सिकन्दरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 08 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना सिकन्दरपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–अश्वनी 2–सोनू 3–प्रकाश 4–आलोक को धारा 302/149/308/325/323/324/147/148 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व प्रत्येक को 02 लाख 31 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 5–चन्दन 6–सुनील 7–आशुतोष 8–आनन्द को धारा 302/149/308/325/323/147/148 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व प्रत्येक को 02 लाख 06 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद देवरिया/थाना गौरीबाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद देवरिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद देवरिया द्वारा थाना गौरीबाजार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हरिकेश उर्फ शैलेश को कठोर आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कन्नौज/थाना कन्नौज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कन्नौज पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कन्नौज द्वारा थाना कन्नौज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)(ठ)/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त विपिन को कठोर आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोण्डा/थाना कटरा बाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटरा बाजार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त इरफान को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————